



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 127029

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 3373 वर्ष 2026

बंटू उर्फ बंटी कुमार

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : प्रेम चंद्र द्विवेदी, विवेक कुमार द्विवेदी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति समित गोपाल

1. सूची पुनरीक्षित की गई।

2. अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री प्रेम चंद्र द्विवेदी और राज्य/प्रतिवादी पक्ष संख्या 1 के अधिवक्ता श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह की बातें सुनीं और रिकॉर्ड देखे।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. 02.04.2026 के आदेश के तहत प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 को नोटिस जारी किया गया था। 27.05.2026 की ऑफिस रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 को व्यक्तिगत रूप से नोटिस तामील कर दिया गया है। इस बारे में रिपोर्ट रिकॉर्ड पर 'फ़्लैग-एक्स' के रूप में रखी गई है।

4. इस न्यायालय ने 23.05.2026 की उक्त रिपोर्ट और आगरा के थाना खंदौली (जिला आगरा) की 23.05.2026 की रिपोर्ट के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा की रिपोर्ट को देखा है।

5. इसके साथ संबंधित पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट भी संलग्न है। यह इस बात का सबूत है कि प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 को नोटिस मिल गया है। इससे यह भी साबित होता है कि प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 को नोटिस की तामील हो गई है। प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 को नोटिस मिलने के बावजूद, दोबारा बुलाए जाने पर भी उनकी ओर से कोई पेश नहीं हुआ।

6. एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14ए(2) के तहत यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता बंटू उर्फ बंटी कुमार द्वारा दायर की गई है। इसमें आगरा में विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) एक्ट द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 249/2024 और एस.सी. संख्या 818/2025 (थाना खंदौली, जिला आगरा) में 16.03.2026 को पारित आदेश को रद्द करने और अपीलकर्ता को उक्त मामले में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323, 325, 504, 506 और एससी/एसटी एक्ट की धाराओं 3(2)(व), 3(1)(द) (ध) से संबंधित है।

7. इस मामले में श्रीमती राजकुमारी ने 20.06.2024 को अपीलकर्ता बंटू उर्फ बंटी कुमार, लल्लुआ और लुका के खिलाफ FIR दर्ज कराई। आरोप है कि 18.06.2024 को दोपहर करीब 12:00 बजे आरोपी नंदलालपुर कांशीराम योजना की बिल्डिंग में लगी लोहे की ग्रिल तोड़ रहे थे। उन्होंने और

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उनके बेटे रिहान ने उन्हें देखा और वीडियो बनाया, जिसके बाद आरोपियों ने रिहान को गाली दी और उस पर हमला किया। उसे बचाने की कोशिश में उसका बड़ा भाई धर्मवीर आया, जिस पर लाठी-डंडे से हमला किया गया; उसके हाथ और पैर में चोटें आईं, जबकि रिहान के पैर और छाती में भी चोटें आईं। आस-पास के लोगों ने यह घटना देखी और फिर आरोपी धमकी देते हुए भाग गए।

8. धर्मवीर की मेडिकल जांच की गई और उनके शरीर पर चार चोटें पाई गईं, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

- (1) बाईं ओर माथे के हिस्से पर 03 सीएम का टांके वाला घाव और उसके आस-पास सूजन।
- (2) दाहिने हाथ पर कई जगह खरोंचें और दाहिने हाथ के ऊपरी हिस्से पर 04 सीएम x 04 सीएम की सूजन।
- (3) बाएं हाथ पर 0.5 सीएम x 0.5 सीएम की खरोंच और उसके आस-पास 5 सीएम x 5 सीएम की सूजन, बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से पर।
- (4) छाती के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर बीच में दर्द की शिकायत।

9. उसमें दर्ज डॉक्टर की राय इस प्रकार थी:-

सभी चोटें ताज़ा हैं और किसी कठोर व कुंद चीज़ से लगी हैं।

विशेषज्ञ की राय (केयूओ) के बाद प्रकृति बताई जाएगी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सलाह:- सिर का सीटी स्कैन, बाएं हाथ और कलाई का एक्स-रे, दाएं हाथ और कलाई का एक्स-रे, छाती का एक्स-रे।

10. धर्मवीर का एक्स-रे किया गया, जिसमें उसके दाएं हाथ की दूसरी मेटाकार्पल हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया। उसके बाएं हाथ और कलाई में दूसरी और तीसरी मेटाकार्पल हड्डी में फ्रैक्चर मिला, लेकिन छाती पर कोई साफ चोट नहीं दिखी।

11. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि अपीलकर्ता को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनका कहना है कि दो लोगों पर हमले के मामले में अपीलकर्ता और दो अन्य सह-आरोपियों की भूमिका एक जैसी और सामान्य बताई गई है। साथ ही, यह भी कहा गया है कि जांच के दौरान रिहान ने जांच अधिकारी के सवाल के जवाब में कहा कि उसे कोई खुली चोट नहीं आई थी, इसलिए उसने कोई मेडिकल जांच नहीं करवाई। धर्मवीर को लगी चोटों के बारे में यह कहा गया है कि वे तीन लोगों द्वारा पहुंचाई गई थीं। अपीलकर्ता और दो सह-आरोपियों पर हमले के सामान्य और व्यापक आरोप लगाए गए हैं। यह मामला बिना किसी पूर्व योजना के अचानक उकसावे में आकर की गई घटना का है। अपील की धारा 15 में बताए अनुसार अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 16.03.2026 से जेल में है।

12. इसके उलट, राज्य के अधिवक्ता ने अपील और जमानत की अर्जी का विरोध किया और कहा कि एफआईआर में अपीलकर्ता का नाम दो अन्य सह-आरोपियों के साथ शामिल है और उन पर मारपीट का आरोप है। चूंकि धर्मवीर की हड्डी टूटी है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। यह भी कहा गया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और तीनों आरोपियों

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जिससे घटना में उनकी भागीदारी भी रिकॉर्ड पर आ गई है।

13. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद, यह साफ़ है कि अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलकर्ता समेत तीन लोगों ने धर्मवीर और रिहान के साथ मारपीट की। रिहान की मेडिकल जांच नहीं की गई क्योंकि उसका कहना है कि उसे कोई चोट नहीं आई थी। जहां तक धर्मवीर की बात है, उसे चोट तो आई थी, लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि चोट किसने पहुंचाई। छाती के एक्स-रे में कोई चोट नहीं मिली। हालांकि दाएं और बाएं हाथ की मेटाकार्पल हड्डी टूटी हुई पाई गई, लेकिन यह पता नहीं चला कि चोट किसने पहुंचाई। मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।

14. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, सबूतों की प्रकृति और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना का संकेत देने वाली किसी भी ठोस सामग्री की अनुपस्थिति को देखते हुए, यह न्यायालय इस राय पर है कि अपीलकर्ता को ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है।

15. अपीलकर्ता - **बंटू उर्फ बंटी कुमार** को उक्त मुकदमा अपराध संख्या वाले मामले में ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक पर्सनल बॉन्ड और दो ज़मानतदार पेश करे। साथ ही, न्याय के हित में निम्नलिखित शर्तें भी लागू की जा रही हैं:-

i) अपील करने वाला व्यक्ति अभियोजन पक्ष के सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही पीड़ित/शिकायतकर्ता को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाएगा या परेशान करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ii) अपील करने वाला व्यक्ति न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, हर तारीख पर न्यायालय में हाज़िर होगा और मुकदमे के निस्तारण में किसी भी तरह की देरी नहीं करेगा।

(iii) अपील करने वाला व्यक्ति यह लिखित वचन देगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों और सबूत पेश करने के लिए तारीख तय हो, तो वह सुनवाई टालने (स्थगन) की मांग नहीं करेगा। अगर इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

(iv) अपील करने वाला व्यक्ति ज़मानत की आज़ादी का किसी भी तरह से दुरुपयोग नहीं करेगा। अगर अपील करने वाला व्यक्ति मुकदमे के दौरान ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बीएनएसएस की धारा 84 / सीआर.पी.सी. की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। यदि अपील करने वाला व्यक्ति ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ कानून के अनुसार बीएनएस की धारा 209/आई.पी.सी. की धारा 174-ए के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(v) अपीलकर्ता को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा: (1) मुकदमा शुरू होने पर, (2) आरोप तय होने पर, और (3) बीएनएसएस की धारा 251/सीआर.पी.सी. की धारा 313 के तहत बयान दर्ज होने पर। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि अपीलकर्ता का न आना जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है; साथ ही, विचारण न्यायालय बीएनएस की धारा 269/भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए के तहत भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(vi) अपीलकर्ता की रिहाई के बाद, विचारण न्यायालय मुकदमे को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश कर सकता है।

16. ज़मानत देने वालों की पहचान, स्थिति और पते के सबूत की पुष्टि संबंधित न्यायालय द्वारा की जाएगी। अगर ऊपर बताई गई शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होता है, तो संबंधित न्यायालय ज़मानत रद्द करने और अपीलकर्ता को जेल भेजने के लिए स्वतंत्र होगा।

17. तदनुसार, अपील सफल होती है और उसे मंज़ूर किया जाता है।

18. आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के मुकदमा अपराध संख्या 249/2024 और एस.सी. संख्या 818/2025 (जो भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323, 325, 504, 506 और एससी/एसटी एक्ट की धाराओं 3(2)(व), 3(1)(द) (ध) के तहत दर्ज थे) में विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट), आगरा द्वारा 16.03.2026 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है।

12 जून, 2026

इम्तियाज

(न्यायमूर्ति समित गोपाल)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।